महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
02 MAY 2016
RBC 9
महाप्रबन्धक सचिव

CPO

RBE No. 44/2016

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
***

No. 2012/E(Trg)/12/17

CPO
All DRMs

New Delhi, dated:29.04.2016

The General Managers / NER
All Indian Railways/Production Units

The Director General,
NAIR, Vadodara
RDSO, Lucknow

Directors
IRISET/Secunderanad
IRICEN/Pune
IRIEEN/Nasik
IRIMEE/Jamalpur
IRITM/Lucknow
JRRPF/Lucknow.

5/5/16

6/5/16

Sub: Policy regarding participation of Indian Railway Personnel in Meditation/Yoga/Spiritual and other related programme.

268

This office has been receiving letters seeking clarifications in connection with the above mentioned policy. The following instructions may be followed :-

543

(i) Special Casual Leave (SCL) may be granted once in a calendar year.

(ii) The power to grant Special Casual Leave (SCL) would lie with the reporting officer of the employee.

(ii) 'Special Pass' may be granted at par with the entitlement of the employee for privilege pass.

(iii) The 'Special Pass' would be granted to the employee only and not to his family.

All other conditions/instructions mentioned in E(Trg)'s letter of even No. dated 13.08.2014 would continue to apply.

(Padma Sharma)
Dy. Director/E(Trg)
Railway Board

11/5/16

[illegible]

RBE No. 44/2016

3
62/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2012/ई(ट्रेनिंग)/12/17

नई दिल्ली, दिनांक२१,04.2016

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक,
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
अ.अ. एवं मा.सं., लखनऊ.

निदेशक
इरिसेट /सिकन्दराबाद
इरिसेन/पुणे
इरीन/नासिक
इरिमी/जमालपुर
इरिटम/लखनऊ
जेआरआरपीएफ/लखनऊ

विषय: मेडिटेशन/योग/अध्यात्मिक और अन्य संबंधित कार्यक्रमों में भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के भाग लेने से संबंधित नीति।

इस कार्यालय में ऐसे पत्र प्राप्त होते रहे हैं जिनमें उपर्युक्त नीति के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए:-

(i) एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार विशेष आकस्मिक छुट्टी (एससीएल) दी जाए।
(ii) कर्मचारी के रिपोर्टिंग अधिकारी के पास विशेष आकस्मिक छुट्टी (एससीएल) प्रदान करने की शक्ति होगी।
(iii) कर्मचारी को सुविधा पास की पात्रता के अनुसार 'स्पेशल पास' दिया जाए।
(iv) केवल कर्मचारी को 'स्पेशल पास' दिया जाएगा और उसके परिवार को नहीं दिया जाएगा।

ई(ट्रेनिंग) के दिनांक 13.08.2014 के समसंख्यक पत्र में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें/अनुदेश लागू रहेंगे।

पद्मा शर्मा
(पद्मा शर्मा)
उप निदेशक/ई(ट्रेनिंग)
रेलवे बोर्ड